

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-29/2014-273(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 27-03-2015

MAIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश 981.039 लाख (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ) रुपये मात्र एवं राज्यांश 327.013 लाख (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ) रुपये मात्र कुल-1308.052 लाख (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ) रुपये मात्र की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹13,08,05,200 (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-08/कृ.नि.यो.वि.0-36/2014-1494 दिनांक-24.03.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश 981.039 लाख (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ) रुपये मात्र एवं राज्यांश 327.013 लाख (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ) रुपये मात्र कुल-1308.052 लाख (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ) रुपये मात्र की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹13,08,05,200 (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹13,08,05,200 (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) में से केन्द्रांश-₹9,81,03,900 (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-P2401001090217, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹13,08,05,200 (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) में से राज्यांश-₹3,27,01,300 (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0317-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-P2401001090317, विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि. (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

7. पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक-269 (आवंटन) दिनांक-24.03.2015 को विलोपित किया जाता है।

प्रमाण

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

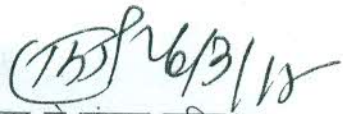
सरकार के संयुक्त सचिव।

नमो

ज्ञापांक 273 (भावंतन)

/कृ., पटना, दिनांक 27-03-2015

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 276 (भावंतन)

/कृ., पटना, दिनांक 27-03-2015

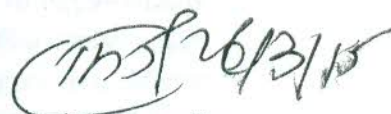
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन कोषांग, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी यांत्रिकरण कोषांग बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 276 (भावंतन)

/कृ., पटना, दिनांक 27-03-2015

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।



